कार्यालय जनपद न्यायाधीश –पीलीभीत।

आदेश संख्या- 264/2024   दिनांकितः सितम्बर 13, 2024

आदेश

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग द्वारा अभिलेख निरीक्षण हेतु किये जाने वाले आवेदनों तथा प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों में, सामान्य नियमावली व्यवहार में संशोधन के अनुसार निर्धारित न्याय शुल्क से कम शुल्क अदा करने पर भी अभिलेख का निरीक्षण कराया जा रहा है एवं प्रतिलिपियां तैयार कर जारी की जा रहीं है जोकि उचित नहीं है।

अतः प्रभारी अधिकारी निरीक्षण एवं पूछताछ तथा प्रभारी अधिकारी प्रतिलपिक अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारीगण को सामान्य नियमावली व्यवहार में संशोधन के अनुसार निर्धारित निम्न-न्याय शुल्क प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।

- **निरीक्षण हेतु आवेदन शुल्क–** निरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन में वह अभिलेख या कागज विनिर्दिष्ट होना चाहिए जिसका निरीक्षण वांछित है तथा उस पर 50.00 रूपये का न्यायालय शुल्क का टिकट होना चाहिए।

- **प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क–**

	निर्णय अथवा निर्णय का अंतिम पैरा	**अभिसाक्ष्य अथवा आदेश पत्र**	**डिकी**	**पुस्तक, रजिस्टर मानचित्र या रेखाचित्र इत्यादि या उससे कोई उद्धरण या नियम 258 में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़कर कोई अन्य कागज**
	रू0	रू0	रू0	रू0
साधारण प्रतिलिपि	50.00	50.00	50.00	50.00
अनिवार्य प्रतिलिपि	100.00	100.00	100.00	100.00

आदेश की एक प्रति नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स के माध्यम से आधिकारिक बेवसाइट पर अपलोड की जाए, एक प्रति प्रभारी अधिकारी नजारत के माध्यम से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई जाए। समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं समस्त बार संघ सूचित हों।

13-09-2024

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा),
जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत